संख्या /XIV–1/2007

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक दिसम्बर, 2007

विषयः– केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत राज्य के पिथौरागढ जिले में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवशेष किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4756/आई0सी0डी0पी0/ पिथौरागढ–2 दिनांक 7.12.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, पिथौरागढ के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रू0 49.95 लाख अनुदान एवं रू0 118.68 लाख अंशपूंजी तथा रू0 38.34 ऋण अर्थात कुल रू0 206.97 लाख (रूपये दो करोड छ लाख सत्तानबे हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी। उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित पी0आई0ए0/जिला सहकारी बैंक लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी और पूर्व में उपलब्ध कराई गयी धनराशि की उपयोगिता सुनिश्चित की जायेगी। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग के पूर्व परियोजना हेतु अब तक स्वीकृत धनराशि के मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत सभी ऋणो की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

(3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर प्राप्त शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी।

(5) इन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की होगी।

(6) आवश्यक उपयोग प्रमाण पत्र एवं इसकी सूचना यथा समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से अवगत कराना होगा और

पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।

(7) पैरा–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नहीं लाई जायेगी लेखा परीक्षण मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

2. इस शासनादेश के प्रस्तर –1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों के अनुपालन विभाग/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग को सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
2425–सहकारिता– आयोजनागत 00– 800–अन्य व्यय 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	49.95
4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत 00– 200–अन्य निवेश 03– समितियो की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) 00– 30–निवेश/ऋण	118.68
6425–सहकारिता को लिये कर्ज–आयोजनागत 00– 800– अन्य कर्ज 04–एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) 00– 30–निवेश/ऋण	38.34
योग–	206.97

(रूपये दो करोड़ छ लाख सत्तानबे हजार मात्र)

4. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता/अनुदान की धनराशि रू0 49.95 लाख (रूपये उनचास लाख पिचानब्बे हजार मात्र) की प्राप्तियां लेखाशीर्षक 0425–सहकारिता–800–अन्य प्राप्तियां–03– राष्ट्रीय सहकारी विकास

निगम से प्राप्त एवं अंशधन व ऋण मु0 157.02 (एक करोड सत्तावन लाख दो हजार रूपये मात्र) की प्राप्तियां लेखाशीर्षक -30-लोक ऋण -6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 108-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज -18-सहकारिता के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-378 (P)/XXVII-4/2007, दिनांक 26.12.2007 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्याः-173(1)/XIV-1/2007,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सहकारिता को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त/ नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।
6. जिलाधिकारी, पिथौरागढ उत्तराखण्ड /वरिष्ठ कोषाधिकारी अल्मोड़ा।
7. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
8. जिला सहायक निबन्धक,सहकारी समितियां पिथौरागढ उत्तराखण्ड।
9. सचिव/ महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक लि0 पिथौरागढ।
10. निदेशक राष्ट्रीय,सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।